

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/

दिनांक:

आदेश

श्री कृष्णकान्त शर्मा, वरिष्ठ रेडियोग्राफर, जे.के.लोन चिकित्सालय जयपुर जिनकी जन्म दिनांक 10.01.1960 है। श्री कृष्णकान्त शर्मा के द्वारा 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर इन्हे दिनांक 31.01.2020 से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

कर्मचारी के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:ई-33/रेडियो./एम 92/2019/233

दिनांक: 19/7/19

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. अधीक्षक, सर पदमपत मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संस्थान जयपुर।
3. श्री कृष्णकान्त शर्मा, वरिष्ठ रेडियोग्राफर को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
✓ प्रभारी सर्वर रूम को वास्ते अपलोड हेतु।

उक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत करावें।


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर